बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांकः– मु०अ०(नि० एवं गु0नि0)सु0सं0यो0–22–09/2025-4344 /पटना, दिनांक-18/08/25

प्रेषक,

संजय कुमार, भा०प्र०से०
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– सुलभ संपर्कता **योजना** शीर्ष –4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष– 103– ग्राम विकास, उपशीर्ष– 0120– अतिरिक्त सुलभ संपर्कता –सात निश्चय–2 विपत्र कोड–37–4515– 00–103–0120 **के अन्तर्गत बिहार राज्य के जहानाबाद, बिहारशरीफ एवं बांका जिला में (परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 04 (चार) पथों के निर्माण की योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार सुलभ संपर्कता **योजना शीर्ष**–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष– 103– ग्राम विकास, उपशीर्ष– 0120– अतिरिक्त सुलभ संपर्कता–सात निश्चय–2 विपत्र कोड–37–4515– 00–103–0120 **के अन्तर्गत बिहार राज्य के जहानाबाद, बिहारशरीफ एवं बांका जिला में (परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 04 (चार) पथों के निर्माण हेतु योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

परिशिष्ट–1

Sl No.	Division	Block	Road Name	Length (in Km)	Total Construction Cost (in Lakhs)	6 years operation & Management cost (in Lakhs)	Emergent & Price adjustument cost (in lakhs)	Contigency Cost (in lakhs)	Administrative Cost (in lakhs)	Land acquisition (in lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jehanabad	Jehanabad	NH-110 to Kalpa-kinari road via korma Medical College	1.100	176.094	10.484	27.987	1.866	4.198	61.411	282.04
2	BiharSharif	BiharSharif	Palni to Mahadalit Manjhi Tola Baijnathpur Tak	2.000	198.856	20.888	32.962	1.494	4.474	-	258.674
3	Banka-1	Banka	Banka Jamdaha Road To Madya Nishedh Office	1.010	94.263	12.853	16.067	1.071	2.410	31.550	158.214
4	Banka-1	Banka	Banka Belhar Road To ABCD Officer Colony	1.100	99.189	9.683	16.331	1.089	2.450	-	128.741
कुल योगः–					827.669 (लाख मे)	रूपये आठ करोड़ सताईस लाख छियासठ हजार नौ सौ रूपये मात्र					

1. इस योजना का व्यय सुलभ संपर्कता योजना शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, विपत्र कोड–37–4515–00–103–0120 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
2. प्रशासनिक अनुमोदन संबंधी स्वीकृत्यादेश में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर इसका संशोधन विभागीय सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव द्वारा किया जा सकेगा।
3. इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पर समीक्षी प्राधिकार विभागीय स्थायी वित्त समिति के अनुशंसोपरांत स्वीकृति प्राधिकार विभागाध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त है।
4. प्रशासनिक स्वीकृति हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर संबंधित कार्यपालक अभियन्ता इसकी सूचना मुख्यालय को अविलब देना सुनिश्चित करेंगे।
5. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व DPR पर संबंधित कार्यपालक अभियन्ता द्वारा सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
6. पथ के नव–निर्माण/पुननिर्माण तथा सचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु होने वाले सभी व्यय का विकलन योजना शीर्ष 4515 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगा।
8 कार्यपालक अभियंता, क्रमशः कार्य प्रमंडल, जहानाबाद, बिहारशरीफ, एवं बांका–1 इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा। संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/ विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः सतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियन्ता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
9. सुलभ संपर्कता योजना शीर्ष–4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, विपत्र कोड–37–4515–00–103–0120 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में 175.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
10. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल द्वारा योजना का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक विभागीय MIS पर ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए संबंधित कार्य अंचल के अधीक्षण अभियता एवं मुख्य अभियता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
12. संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल यह सुनिश्चित करेगें कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा विहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है. अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं एवं Bidding document में निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
16. संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 17 के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
17. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यो को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा।

18. वर्णित योजना का क्रियान्वयन निर्धारित मापदण्डों एवं समय–समय पर विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार संपन्न कराया जाना संबंधित कार्यपालक अभियन्ता, कार्य प्रमंडल की जिम्मेवारी होगी।

19. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक 03.12.2024 के कंडिका–11 के आलोक में स्वीकृत्यादेश प्रारुप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या–मु०अ० (नि० एवं गु०नि०) सु०सं०यो०–22– /2025 के पृष्ठ संख्या– /टि० पर दिनांक को प्राप्त है। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाऐंगे।

20. परिशिष्ट–1 में वर्णित सभी चार योजनाओं से संबंधित पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0 पत्रांक– मु0अ0(नि0एवंगु0नि0)सु0सं0यो0–22–09/2025–4086 दिनांक– 06.08.2025 को रद्द समझा जाए।

विश्वासभाजन

18/8/25

(संजय कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:– मु०अ०(नि० एवं गु0नि0)सु0सं0यो0–22–09/2025-4344 /पटना, दिनांक–18/08/2025

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (लेखा परीक्षा) विहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/8/25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:– मु०अ०(नि० एवं गु0नि0)सु0सं0यो0–22–09/2025 4344 /पटना, दिनांक–18/08/25

प्रतिलिपि:– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/8/25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:– मु०अ०(नि० एवं गु0नि0)सु0सं0यो0–22–09/2025-4344 /पटना, दिनांक–18/08/25

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ब्राडा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–1,2,3 ग्रामीण कार्य विभाग, पटना प्रक्षेत्र/मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/8/25

संयुक्त सचिव